कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

क्रमांकःकृमविझि/स्था./2026/4321 दिनांकः 08.05.2026

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, झिलाई के फार्म गाँव–हरीपुरा (सिरोही रोड) पर हिस्सा आधारित खेती खरीफ 2026 व रबी 2026–27 की विभिन्न फसल उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 16 से 18 हेक्टर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाऍ दिनांक 20.05.2026 को दोपहर बाद 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 500/– रूपये कैशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट **www.sknau.ac.in** से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 500/– का डी.डी. लगाकर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ कुल धरोहर राशि 12000/– नगद/डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 20.05.2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

Sd/-
अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान निदेशक, अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को **DOR/ SKNAU/2022/679 dated 20-10-2022** के बाबत्।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट और SPPP पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।
4. सूचना पट्ट, कार्या0 उपखण्ड अधिकारी, कार्या0–निवाई/कार्या0 पं.स. निवाई/कृषि उपज मण्डी निवाई/ग्राम पंचायत झिलाई।
5. स्थापना/लेखा–शाखा, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
6. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए श्री महेन्द्र यादव, फार्म प्रबन्धक (6377438746) से सम्पर्क करे।
7. सूचना पट्ट।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

खुली निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :–

1. **योजना का नामः** खरीफ 2026 व रबी 2026–27 हेतु हिस्सा आधारित खेती				
2. **बजट मदः** रिवोल्विग फण्ड				
3. **कार्य की अनुमानित अवधिः** 1 वर्ष (खरीफ 2026 व रबी 2026–27)				
4. **धरोहर राशि की प्रकृति व राशिः** नगद / डी.डी राशि रूपये 12000 / –				
5. निविदा फार्म की कीमत : रूपये 500 / –				
6. निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि :– 20.05.2026 दोपहरः 1.00 बजे				
7. **निविदा खोलने की दिनांक व समय** :– 20.05.2026 दोपहरः 2.00 बजे				
8. **निविदादाता** : कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण (संलग्न)				
क्रं. सं.	**फसल विवरण**	**विवरण**	**उत्पादन में दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)**	
			ठेकेदार हिस्सा	**कॉलेज हिस्सा**
1.	**खरीफ फसल 2026**	**दाना / बीज उपज**		
2.	**रबी फसल 2026–27**	**दाना / बीज उपज**		

नोट : आधार कार्ड प्रति एवं फार्म शुल्क रसीद / डी.डी. (500 / –) रुपये साथ में संलग्न करें।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय पूर्ण पता

कृषि महाविद्यालय, झिलाई–निवाई (टोंक)

हिस्सा आधारित खेती व निविदा की शर्ते :–

1.	ट्रेक्टर सम्बंधी समस्त कार्य, जुताई कार्य अर्थात् खेत तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग/स्प्रेयर कार्य, थ्रेसिंग मशीन उपकरण आदि उपकरणों की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनके सम्बन्धित डीजल खर्च में निविदादाता/हिस्साधारक का कोई योगदान नही रहेगा, परन्तु यदि कोई उपकरण फार्म पर उपलब्ध नही हैं जो उसकी व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जावेगी।
2.	बीज एवं बीजोपचार तथा फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद, उर्वरक, फफूँदनाशक दवाईयाँ अर्थात सभी इनपुट्स व्यवस्था कॉलेज द्वारा देय होगी, जो कॉलेज वैज्ञानिक एवं फार्म अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नही होगी।
3.	यह हिस्सा आधारित खेती खरीफ 2026 एवं रबी 2026–27 के लिए ही मान्य होगी।
4.	केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 16 से 18 हेक्टर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन किया जाना हैं, परन्तु कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल लगानी हैं इसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बीजोंत्पादन कार्यक्रम के आधर पर व अन्य फसलों का चुनाव व बुवाई सम्बंधित निर्णय अधिष्ठाता एवं फार्म स्टाफ के निर्देशानुसार करने होंगे।
5.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ करके फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग हिस्साधारक को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमीं एवं कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा। फसल के बीज में अधिक कचरा एवं नमी होने पर केन्द्र की कमेटी के निर्णय अनुसार वजन काटा जायेगा।
6.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की मांग अनुसार करने होंगे। यदि कोई कार्य समय पर नही कराया गया या प्रभारी अधिकारी कार्य से सन्तुष्ट नही हुये तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान निविदादाता को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी नियमानुसार की जावेगी।
7.	ट्रेक्टर, निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को अधिष्ठाता एवं फार्म स्टाफ की आज्ञानुसार करने होगे व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। निराई गुड़ाई तथा कटाई में उपयोग होने वाले औजार हिस्साधारक/निविदाता के होंगे।
8.	निविदादाता को सिंचाई सम्बंधित पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट आदि कृषि उपकरण गिनकर लिखित रुप में प्राप्त करने होगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। नही लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पडेगी।
9.	थ्रेसिंग कार्य की व्यवस्था अधिष्ठाता एवं फार्म स्टाफ के निर्देशानुसार निविदादाता/हिस्साधारक द्वारा करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो अधिष्ठाता एवं फार्म स्टाफ द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
10.	प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
11.	हिस्साधारक प्रतिशत दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
12.	दर देने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे।
13.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य अनुबन्ध नही करने पर अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश देना अधिष्ठाता के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबन्ध की अवधि कार्य सन्तोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढाई जा सकती हैं।
14.	निविदादाता/हिस्साधारक अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने का पूर्ण उतरदायित्व स्वंय हिस्साधारक का होगा। किसी भी शर्त को कम करके या नई शर्ते बढ़ाने का पूर्व अधिकार अधिष्ठाता को होगा। जिसकी लिखित सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।
15.	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर अधिष्ठाता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/हिस्साधारक की होगी।

16.	सिंचाई हेतु जल आपूर्ति हिसाधारक को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि घटाई बढाई जा सकती है।
17.	किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए केन्द्र जिम्मेदार नही होगा। इसके लिए केन्द्र किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नही होगा।
18.	सम्पूर्ण खेती का कार्य अधिष्ठाता एवं फार्म स्टाफ के निर्देशानुसार करना होगा।
19.	किसी भी प्रकार के कार्य संबंधित विवाद की स्थिति में फार्म प्रभारी/प्रबन्धक/कॉलेज प्रशासन को निर्णय का पूरा अधिकार होगा, जो निविदादाता/हिस्साधारक को मान्य होगा। केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों का अधिष्ठाता के निर्देशानुसार सुविधाएँ देय होगी।
20.	किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
21.	व्यावसायिक फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी/चौकीदारी/सुरक्षा दिन व रात में करनी होगी। फसल की निगरानी स्वयं निविदादाता/हिस्साधारक की होगी।
22.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नंही करेंगे।
23.	फार्म की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये कटाई का कार्य मशीन के द्वारा नही किया जा सकेगा।
24.	पम्प व ट्यूबवेल मोटर ओपरेशन निविदादाता/हिस्साधारक को ही करना होगा।
25.	आवास की व्यवस्था निविदादाता/हिस्साधारक को ही करना होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नही होगी।
26.	जमा राशि पर ब्याज देय नही होगा।
27.	हिस्साधारक को उत्पादन के रुप में बीज नही दियो जायेगा। उसके हिस्से की राशि नजदीकी सरकारी मण्डी (कृषि उपज मण्डी, निवाई) के 14 दिवस के औसत भाव (फसल निकलने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के औसत मण्डी भाव के आधार पर जो भी मूल्य होगा, उसके हिस्से के उत्पाद की राशि चैक द्वारा दी जायेगी।
28.	चारा उपज का 50 प्रतिशत निविदादाता/हिस्साधरक एवं 50 प्रतिशत कॉलेज का होगा।
29.	व्यवसायिक बीज उत्पादन में हिस्साधरक को केन्द्र की कमेटी के निर्णयानुसार बीज का हिस्सा दिया जा सकता हैं।
30.	निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा।
31.	हिस्साधारक/निविदादाताओं द्वारा एक से ज्यादा समान दरो पर होने की स्थिति में क्षेत्रफल सुविधानुसार निश्चित किया जा सकता हैं। कॉलेज उक्त स्थिति में अलग–अलग हिस्साधारक दर को समान किया जाना कृषि महाविद्यालय को अधिकार होगा।
32.	फार्म पर श्रमिक से सम्बंधित समस्त कार्य हिस्साधारक द्वारा किया जाना होगा एवं कृषि कार्य हेतु उपकरण एवं आदान कृषि महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। यदि हिस्साधारक कोई कार्य फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नही करता हैं तो कायर्यलय द्वारा स्वयं श्रमिक लगाकर कार्य करवा लिया जायेगा, जिसका भुगतान हिस्साधारक के अन्तिम भुगतान से काट लिया जायेगा।
33.	न्यूनतम प्रतिशत निविदादाता को 500/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर शर्तों की पालना हेतु कॉलेज के साथ अनुबन्ध करना होगा।

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ। कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक नाम :– पताः– मो0 न0:–	अधिष्ठाता के हस्ताक्षर मय सील